

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

मनोज कुमार रंजन, भा.प्र.से.,
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
झारखण्ड।

विषय :

राँची, दिनांक 08/10/2026,
विभागीय संकल्प संख्या-1580 दिनांक 10.06.2022 द्वारा लागू अंशदायी
पेंशन योजना से से आच्छादित सहायक शिक्षक/सहायक आचार्य की
सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :

महाशय,

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का पत्रांक 3048 दिनांक 09.09.2026

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या-1580 दिनांक 10.06.2022 द्वारा राज्य के गैर-सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू किया गया है।

उक्त संकल्प के आलोक में राज्य के गैर-सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में दिनांक 01.12.2004 को या उसके बाद नियुक्त सहायक शिक्षक/सहायक आचार्य को नयी अंशदायी पेंशन योजना के तहत PRAN No. आवंटित करते हुए अंशदान की कटौती करने का निदेश दिया गया था।

कालांतर में विभागीय संकल्प संख्या 1743 दिनांक 27.06.2024 द्वारा गैर-सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से पहले गैर-सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) में कार्यरत शिक्षक/सहायक आचार्य को अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान की राशि की वापसी करना अनिवार्य है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का पत्रांक 3048 दिनांक 09.09.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रधान महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड राँची द्वारा दिनांक 01.12.2004 के बाद सेवा में शामिल हुए अल्पसंख्यक विद्यालय के कर्मियों के पेंशन मामले का निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण जारी करने का अनुरोध किया गया है :-

- (i) अल्पसंख्यक विद्यालय के कर्मचारी के संबंध में वित्त विभाग के पत्रांक 39 की सार्थकता।
- (ii) क्या विभागीय संकल्प संख्या-1580 दिनांक 10.06.2022 के अनुसार कटौती की गई थी, क्योंकि OPS लाभ देने से पहले सरकारी अंशदान की वापसी अनिवार्य है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न बिन्दुओं पर प्रतिवेदन अपेक्षित है :

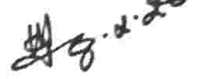
- (1) विभागीय संकल्प संख्या-1580 दिनांक-10.06.2022 द्वारा लागू अंशदायी पेंशन योजना के आलोक में आपके जिला अंतर्गत गैर-सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय में दिनांक 01.12.2004 को या उसके बाद नियुक्त सहायक शिक्षक/सहायक आचार्य

की सूची (उनके PRAN NO एवं अन्य विवरण सहित), जिनको अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत PRAN No आवंटित हुआ है एवं अंशदान की कटौती की गई है।

- (2) विभागीय संकल्प संख्या-1580 दिनांक-10.06.2022 की कंडिका-4(iv) में वर्णित प्रावधान के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति को अंशदायी पेंशन योजना को सुचारु रूप से लागू करने की जिम्मेवारी प्रदत्त है। यदि उक्त प्रावधान को लागू नहीं किया गया है, तो जिम्मेवार विद्यालय प्रबंधन समिति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है।
- (3) अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में आपके स्तर से क्या कार्रवाई की गई है, क्योंकि अंशदायी पेंशन योजना लागू की जवाबदेही आप पर भी थी।

निदेश दिया जाता है कि उक्त बिन्दुओं पर 15 दिनों के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,



(मनोज कुमार रंजन)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

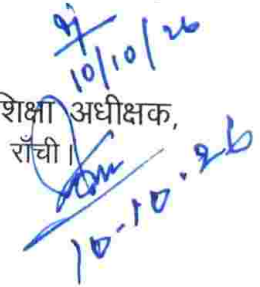
ज्ञापांक 5280 / राँची, दिनांक 10/10/2026

प्रतिलिपि—जिले के सभी प्रधानाध्यापक—सह— निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—सचिव/प्रधानाध्यापक, गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय) सहित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 17.10.2026 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची।


10-10-26